Signature and Name of Invigilator 1. (Signature) ______ (In figures as per admission card) (Name) ______ 2. (Signature) _____ Roll No. _____ (In words) Test Booklet No.

D-5809

Time : 2 \(^1/_2\) hours PAPER-III [Maximum Marks : 200 LAW

Number of Pages in this Booklet: 40

Instructions for the Candidates

- 1. Write your roll number in the space provided on the top of this page.
- Answer to short answer/essay type questions are to be given in the space provided below each question or after the questions in the Test Booklet itself.

No Additional Sheets are to be used.

- 3. At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below:
 - To have access to the Question Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.
 - (ii) Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the Question Booklet will be replaced nor any extra time will be given.
- 4. Read instructions given inside carefully.
- 5. One page is attached for Rough Work at the end of the booklet before the Evaluation Sheet.
- 6. If you write your name or put any mark on any part of the Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, you will render yourself liable to disqualification.
- 7. You have to return the test booklet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall.
- 8. Use only Blue/Black Ball point pen.
- 9. Use of any calculator or log table etc., is prohibited.

Number of Questions in this Booklet: 26

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

- 1. पहले पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए ।
- लघु प्रश्न तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के नीचे या प्रश्नों के बाद में दिये हुए रिक्त स्थान पर ही लिखिये ।

इसके लिए कोई अतिरिक्त कागज का उपयोग नहीं करना है।

- 3. परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जायेगी । पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्निलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है:
 - (i) प्रश्न-पुस्तिका खोलने के लिए उसके कवर पेज पर लगी कागज की सील को फाड़ लें । खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें ।
 - (ii) कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चैक कर लें कि ये पूरे हैं । दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ/प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले लें । इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे । उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा ।
- 4. अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपर्वक पढें।
- 5. उत्तर-पुस्तिका के अन्त में कच्चा काम (Rough Work) करने के लिए मूल्यांकन शीट से पहले एक पृष्ठ दिया हुआ है ।
- 6. यदि आप उत्तर-पुस्तिका पर अपना नाम या ऐसा कोई भी निशान जिससे आपकी पहचान हो सके, किसी भी भाग पर दर्शाते या अंकित करते हैं तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे ।
- आपको परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और इसे परीक्षा समाप्ति के बाद अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें ।
- केवल नीले/काले बाल प्वाईंट पैन का ही इस्तेमाल करें ।
- 9. किसी भी प्रकार का संगणक (कैलकुलेटर) या लाग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है।

D-5809 P.T.O.

LAW विधि

PAPER-III

प्रश्नपत्र-III

Note: This paper is of **two hundred (200)** marks containing **four (4)** sections. Candidates are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट: यह प्रश्नपत्र दो सौ (200) अंकों का है एवं इसमें चार (4) खंड हैं । अभ्यर्थियों को इनमें समाहित प्रश्नों का उत्तर अलग दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार देना है ।

SECTION - I

खण्ड 🗕 I

Note: This **section** contains **five** (5) questions based on the following paragraph. Each question should be answered in about **thirty** (30) words and carries **five** (5) marks.

 $(5 \times 5 = 25 \text{ Marks})$

नोट: इस खंड में निम्निलिखित अनुच्छेद पर आधारित **पाँच (5)** प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **तीस (30)** शब्दों में अपेक्षित है । प्रत्येक प्रश्न **पाँच (5)** अंकों का है । (5 × 5 = 25 अंक)

Legal education has an important role to play in the establishment of law-abiding society. Excellence in legal education and research is extremely important, because it will help shape the quality of the rule of law. Indian society is facing deeply institutionalised problems relating to administration of justice because of extraordinary delays in justice delivery and problems such as governance crisis, poverty and corruption. As a consequence, the distance between the "Law in books" and the "Law in reality" is widening. If Indian society is to wake up to this challenge and for good governance to be based only on the rule of law, it is essential that law schools play a more active and responsible role. The future development of legal education in India should encourage scholars to develop research inputs on the various problem areas of law for better understanding of the institutions engaged in law reform.

If the law schools in India are to provide institutional leadership in the field of teaching, research and learning, it is necessary for them to rethink the nature of legal education. The system of legal education in India is facing significant challenges. While the idea of national law schools has flourished over the years and it has provided the leadership with new opportunities to create institutions of excellence, there is still need to continuously assess and evaluate our law schools in the light of the challenges to the rule of law.

In fact the most important objective of legal education ought to be promoting excellence in both teaching and research. But these objectives ought to be fulfilled bearing in mind their relevance to and linkages with establishing a rule of law-friendly society. The present state of civil and criminal justice system in India poses numerous challenges and is far from providing the much needed faith and respect for law and legal institutions. While every institution has an important role to play in ensuring the rule of law, law schools have so far not been seen as stepping up in this regard. It is time for law schools and the legal education discourse in India to embrace this responsibility, lest the faith of the students and the faculty in the role of law and its impact on justice should be lost forever.

विधि का अनुपालन करने वाले समाज के निर्माण में विधिक शिक्षा की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है । विधिक शिक्षा एवं शोध में उत्कृष्टता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह विधि के शासन की गुणवत्ता को निर्धारित करने में सहायक होगा । भारतीय समाज, न्याय प्रक्रिया में असामान्य विलम्ब एवं प्रशासकीय संकटों, निर्धनता एवं भ्रष्टाचार जैसी संस्थाओं के कारण न्याय प्रशासन से जड़ी हुई गम्भीर संस्थागत समस्याओं का सामना कर रहा है । इसके परिणामस्वरूप "पुस्तकीय

विधि" और "वास्तिवक विधि" के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है । यदि भारतीय समाज को इस चुनौती का सामना करना है, और सुप्रशासन को विधि के शासन पर आधारित होना है, तो यह आवश्यक है कि विधि महाविद्यालय और अधिक सिक्रय एवं उत्तरदायी भूमिका निभाएँ । भारत में भविष्य में विकसित होने वाली विधिक शिक्षा के द्वारा, विधिक सुधार हेतु प्रयासरत संस्थाओं के मार्गदर्शन के लिए, विद्वानों को विभिन्न विधिक समस्याओं से संबंधित शोध सामग्री के विकास के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ।

यदि भारत में विधि शिक्षा केन्द्रों को शिक्षण, शोध एवं ज्ञानार्जन में संस्थागत नेतृत्व प्रदान करना है तो उनके लिए यह आवश्यक है कि वे विधिक शिक्षा की प्रकृति पर पुनर्विचार करें । भारत में विधिक शिक्षा की व्यवस्था महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही है । यद्यपि कि कुछ वर्षों में राष्ट्रीय विधि शिक्षा केन्द्रों की धारणा समृद्ध हुई है और इसने उत्कृष्ट संस्थाओं के निर्माण के लिए नवीन अवसर एवं नेतृत्व प्रदान किया है , तथापि विधि के शासन की चुनौतियों के आलोक में, हमारे विधि शिक्षा केन्द्रों का लगातार आकलन एवं मृल्यांकन की आवश्यकता है ।

वास्तव में विधिक शिक्षा का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षण एवं शोध दोनों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना होना चाहिए । परन्तु इन उद्देश्यों की प्राप्ति इस विचार को ध्यान में रखकर होनी चाहिए कि इनका सम्बन्ध एवं प्रासंगिकता विधि के शासन का सम्मान करने वाले समाज के निर्माण में है । भारत में सिविल एवं आपराधिक न्याय-व्यवस्था की वर्तमान दशा अनेक चुनौतियों को प्रस्तुत करती है और विधि व निधि संस्थाओं के लिए अति आवश्यक सम्मान व विश्वास को अर्जित करने में विफल है । यद्यपि कि विधि के शासन को सुनिश्चित करने में प्रत्येक संस्था की भूमिका है, परन्तु विधि शिक्षा केन्द्र अभी तक इस दिशा में सिक्रय दिखाई नहीं दिये हैं । समय आ गया है कि भारत में विधि शिक्षा केन्द्र एवं विधिक शिक्षा इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करें अन्यथा विधि की भूमिका व इसके न्याय पर पड़ने वाले प्रभाव पर से विद्यार्थियों व शिक्षकों का विश्वास सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा ।

In the establishment of law abiding society, what is the role of legal education?

विधि का अनुपालन करने वाले समाज के निर्माण में विधिक शिक्षा की क्या भूमिका है ?					

2.	What are the reasons for extraordinary delays in justice delivery system in India? What neasures could be suggested to improve the situation?			
	भारत में न्याय परिदान प्रणाली में असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं ? स्थिति में सुधार हेतु क्या सुझाव दिये जा सकते हैं ?			
	सकत ह !			
3.	For good governance based on the rule of law is it essential that law school must play a more active and responsive role ?			
	एक अच्छा शासन जो विधि के शासन पर आधारित हो, उसके लिए क्या यह आवश्यक है कि विधि महाविद्यालय एक सक्रिय एवं उत्तरदायी भूमिका निभाए ?			

4.	What challenges the present state of civil and criminal justice system in India is facing today?
	भारत में सिविल एवं आपराधिक न्याय प्रणाली आज किन चुनौतियों का सामना कर रही है ?
5.	What significant challenges the system of legal education in India is facing today?
	भारत में आज विधिक शिक्षा किन महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही है ?

SECTION - II

खण्ड – II

Note:	This section contains fifteen (15) questions, each to be answered in about thirty (30) words. Each question carries five (5) marks. $(15 \times 5 = 75 \text{ Marks})$
नोट :	इस खंड में पाँच-पाँच (5-5) अंकों के पंद्रह (15) प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग तीस (30) शब्दों में अपेक्षित है । (15 × 5 = 75 अंक)
In "र	The Preamble to the Constitution sets out the aims and aspirations of the people of dia." Critically examine the above statement. मंविधान की उद्देशिका भारत के लोगों की आकांक्षाओं और उद्देश्यों को परिलक्षित करती है ।" इस कथन की लोचनात्मक व्याख्या कीजिए ।

7.	"The doctrine of pith and substance introduces a great deal of flexibility into otherwise rigid scheme of the distribution of legislative powers." Explain. "सार एवं तत्त्व का सिद्धान्त भारतीय संविधान के अन्तर्गत विधायी शक्ति के वितरण की अन्यथा अनम्य योजना में नमनीयता का बृहत अंश लाता है ।" समझाइये ।		
8.	Whether administrative lane is a part of constitutional lane. क्या प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधि का भाग है ?		

9.	Examine how precedent serves as a source of law.
	परीक्षण करें के पूर्विनिर्णय किस प्रकार विधि के एक स्रोत के रूप में कार्य करता है ।
10.	Define and distinguish possession and ownership.
	कब्जा और स्वामित्व की परिभाषा दीजिए तथा इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए ।

11.	Mention the circumstances in which a person can plead intoxication as a defence. उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिये जिनमें एक व्यक्ति अपने बचाव में मत्तता का सहारा ले सकता है ।
12.	Describe the essential ingredients of the offence under Section 463 of Indian Penal Code. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 463 के तहत अपराध के आवश्यक तत्त्वों का वर्णन कीजिये ।

13.	What is the impact of Stockholm Conference on Indian Environmental Legislative Process?
	भारतीय पर्यावरणिक विधायी प्रक्रिया पर स्टॉकहोम कांफ्रेंस का क्या प्रभाव है ?
14.	Explain double nationality.
	द्वी नागरिकता को स्पष्ट कीजिये ।

15.	"There is a shift from fault theory to irretrievable breakdown of marriage theory for dissolution of marriage." Discuss. विवाह विच्छेद के मामले में 'दोष सिद्धान्त' (फोल्ट थ्योरी) से असादय विवाह विच्छेदन सिद्धान्त की ओर झुकाव हुआ है । समझाइये ।
16.	Explain the doctrine of 'Hizanat' under Muslim Law. मुस्लिम विधि के ''हिज़ान्त'' सिद्धान्त का विस्तार से विवरण कीजिए ।

17.	Write about the protection of Minorities by the Indian Constitution.
	भारतीय संविधान के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के संरक्षण की व्याख्या कीजिए ।
18.	Examine the scope of respondent superior principle.
	उच्चतर प्रत्यर्थी के सिद्धान्त की व्याप्ति का परीक्षण कीजिये ।

19.	Explain role of directors to discharge corporate social responsibility through law.
	विधि के माध्यम से निगमित सामाजिक दायित्व के निर्वहन में निदेशकों की भूमिका को समझाइये ।
20.	Explain law relating to advantages of registration of firms.
	फर्म के पंजीकरण के लाभ से सम्बन्धित विधि को समझाइये ।

SECTION – III खण्ड – III

Note: This section contains **five** (5) questions from each of the electives/specialisations. The candidate has to choose only **one** elective/specialisation and answer all the **five** questions from it. Each question carries **twelve** (12) marks and is to be answered in about **two hundred** (200) words. ($5 \times 12 = 60$ Marks)

नोट: इस खण्ड में प्रत्येक ऐच्छिक इकाई / विशेषज्ञता से **पाँच (5)** प्रश्न हैं । अभ्यर्थी को केवल **एक** ऐच्छिक इकाई / विशेषज्ञता को चुनकर उसी में से **पाँचों** प्रश्नों का उत्तर देना है । प्रत्येक प्रश्न **बारह (12)** अंकों का है व उसका उत्तर लगभग **दो सौ (200)** शब्दों में अपेक्षित है । $(5 \times 12 = 60 \text{ अंक})$

Elective-I

ऐच्छिक-I

- 21. "The Constitution of India is neither purely federal nor purely unitary, but is a combination of both". Critically examine the above statement.
 - "भारत का संविधान न तो बिल्कुल परिसंघात्मक है, न ही बिल्कुल एकात्मक है वरन यह दोनों का संयोजन है ।" उपर्यक्त कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।
- 22. "Liberty of Press consists in laying no prior restraints upon publications and not in freedom from censure for matters when published." Explain and indicate how far this liberty of press is protected under the Constitution of India.
 - "प्रेस की स्वतंत्रता प्रकाशनों पर पूर्व अवरोधों के न लगाने के सन्दर्भ में है न कि विषयों के प्रकाशन के बाद निन्दा से स्वतंत्रता के सन्दर्भ में ।" विवेचना कीजिए एवं बतलाइए कि भारत के संविधान के अन्तर्गत प्रेस की यह स्वतंत्रता किस सीमा तक संरक्षित है ।
- 23. "Indian secularism is neither anti-religious nor is it based on total neutrality towards religion, but is based on equal respect to all religions." Explain and illustrate.
 - "भारतीय पंथ निरपेक्षता न तो धर्म विरुद्ध है और न ही धर्म के प्रति पूर्णतया तटस्थ परन्तु इसका मूलाधार सभी धर्मों के प्रति समान आदर है ।" व्याख्या कीजिए एवं उदाहरण दीजिए ।
- 24. "The recent judicial pronouncement on the question of the appointment of the Judges of the Supreme Court and High Courts is dominated by the emphasis on integrated-participatory-consultative process."

Elucidate the above statement.

"उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रश्न पर अद्यतन न्यायिक निर्णय इन नियुक्तियों के चयन के लिए एक समेकित — भागग्राही — परामर्शी प्रक्रिया पर बल देने की भावना से प्रेरित है ।" उपर्यक्त कथन की विशद समीक्षा कीजिए । 25. "Parliament is the sole judge in matters involving parliamentary privileges and immunities except when it is the question concerning the personal liberty of a citizen." Discuss with the help of decided cases.

"संसदीय विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों के मामले में संसद ही एकमात्र निर्णायक है, केवल उस स्थिति को छोड़कर जबकि एक नागरिक की वैयक्तिक स्वतंत्रता का प्रश्न उपस्थित हो ।" वाद-विधि की सहायता से विवेचना कीजिए ।

OR / अथवा

Elective-II

ऐच्छिक-II

- 21. "Administrative Law is a law that regulates Administrative Deviance." Critically define the nature and scope of Administrative Law.
 - ''प्रशासनिक विधि प्रशासनिक विचलन को नियंत्रित करने वाली विधि है ।'' प्रशासनिक विधि के प्रकृति एवं विस्तार क्षेत्र की व्याख्या कीजिये ।
- 22. Courts adopt various methods to control administrative discretion Elucidate. न्यायालय प्रशासनिक विवेकाधिकार को नियंत्रित करने के लिये कई प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं । विशदीकरण कीजिये ।
- 23. "Mandamus is the most sought for remedy against administrative actions." Critically analyse the statement.

 प्रशासिनक कृत्यों के विरुद्ध समादेश सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला उपचार है । इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये ।
- 24. Discuss the main aspects of rule against bias. पक्षपात के विरुद्ध नियम के प्रमुख पक्षों की विवेचना कीजिये।
- 25. Has the institution of Lokpal helped in achieving the object for which it was created? जिस उद्देश्य के लिये लोकपाल की संस्था को स्थापित किया था, क्या उस उद्देश्य को पूरा करने में वह मददगार हुई?

OR/अथवा

Elective-III

ऐच्छिक-III

21. Critically evaluate the role played by the judiciary in protecting women's rights. महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करने में न्यायपालिका की भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ।

- 22. "Internal morality is a procedural version of natural law." Explain. "आंतरिक नैतिकता, प्राकृतिक विधि का प्रक्रियापरक संस्करण है ।" व्याख्या कींजिए ।
- 23. Examine the theory of 'Balancing of Interests'. 'हितों का संतुलन' करने के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए।
- 24. 'A Right is an interest recognised and protected by rules of right, that is by legal rules....' Salmond Discuss.

 अधिकार वह हित है जो अधिकार के नियमों, अर्थात् विधिक नियमों द्वारा मान्यताप्राप्त तथा संरक्षित है । साल्मण्ड के इस कथन का विवेचन कीजिए ।
- 25. What do you understand by 'justice according to law' ? 'विधि के अनुसार न्याय' से आप क्या समझते हैं ?

OR/अथवा

Elective-IV

ऐच्छिक-IV

- 21. "In the offences against women, her reaction is relevant but not always conclusive." Discuss the statement.
 - "स्त्रियों के विरुद्ध अपराधों में, उसकी प्रतिक्रिया सुसंगत होती है, लेकिन हमेशा निर्णायक नहीं होती ।" इस कथन की विवेचना कीजिए ।
- 22. 'Every breach of trust is misappropriation but every misappropriation is not necessarily a breach of trust.' Explain the statement.
 - 'प्रत्येक आपराधिक न्यासभंग, आपराधिक दुर्विनियोग होता है, किन्तु हर आपराधिक दुर्विनियोग, न्यास भंग नहीं होता ।' कथन की व्याख्या कीजिये ।
- 23. Explain and illustrate the possible attempts punishable under Indian Penal Code, 1860. भारतीय दण्ड संहिता 1860 में वर्णित दण्डनीय संभव प्रयासों (प्रयत्नों) का उल्लेख व विवेचन कीजिये।
- 24. When 'hurt' may convert into culpable homicide and murder? Explain those situations. कब 'चोट' आपराधिक मानव वध व हत्या में परिवर्तित हो सकती है? उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिये।
- 25. What do you mean by defamation? Distinguish between defamation and criminal insult.
 - मानहानि से आप क्या समझते हैं ? मानहानि एवं आपराधिक अपमान में अन्तर बताइये ।

OR/अथवा

Elective-V

ऐच्छिक-V

21. Examine various measures enshrined in the Indian Constitution for the protection of environment.

पर्यावरण के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में दिए गए विविध उपायों का परीक्षण कीजिए ।

22. What is the role played by the Pollution Control Boards in preventing and prohibiting environmental pollution?

पर्यावरणीय प्रदुषण का प्रतिरोध तथा निषेध करने में प्रदुषण नियंत्रण परिषद की भूमिका का उल्लेख कीजिए ।

23. What is meant by sustainable development? Refer to leading decided cases.

वहनीय विकास से क्या तात्पर्य है ? प्रमुख निर्णीत मामलों का संदर्भ दीजिए ।

24. Examine the directions issued by the Supreme Court to control vehicular pollution.

वाहन-जन्य प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निदेशों का परीक्षण कीजिए ।

25. Elucidate the contribution of Supreme Court of India in curbing environmental pollution.

पर्यावरणीय प्रदुषण पर नियंत्रण लगाने में भारतीय उच्चतम न्यायालय के योगदान की विशद व्याख्या कीजिए ।

OR/अथवा

Elective-VI ऐच्छिक-VI

- 21. Evaluate the importance of CUSTOM as a source of international law. अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में प्रथा के महत्त्व का मूल्यांकन कीजिये।
- 22. Define "Recognition". Examine the theories of Recognition. मान्यता को परिभाषित कीजिये । मान्यता के सिद्धान्तों का परिक्षण कीजिये ।
- 23. Examine the contribution of the International Court of Justice to the development of International Law.

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के योगदान का परीक्षण कीजिये ।

- 24. "With VETO, the United Nations cannot function and without VETO, the United Nations cannot survive" Comment.
 - "वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य नहीं कर सकता और बिना वीटो के संयुक्त राष्ट्र संघ जीवित नहीं रह सकता ।" टिप्पणी कीजिये ।
- 25. "The Global Trade Regime focuses more on growth than on justice." Elucidate.
 - "विश्व व्यापार रेजिम विकास पर ज्यादा केन्द्रित है बनिस्बत न्याय के ।" स्पष्ट कीजिये ।

OR/अथवा

Elective-VII ऐच्छिक-VII

- 21. Discuss the changing concept of "Adoption" under Hindu Law.
 - हिन्दु विधि में दत्तक ग्रहण के बदलते परिवेश की चर्चा कीजिए ।
- 22. With the help of decided cases, discuss under what circumstances a Hindu wife can be a natural Guardian.
 - निर्णीत वादों की सहायता से किन परिस्थितियों में हिन्दू पत्नी नैसर्गिक संरक्षक हो सकती है, चर्चा कीजिए।
- 23. Discuss fully 'Khula' as a mode of divorce under Muslim Law.
 - मुस्लिम विधि में 'खुला' विवाह विच्छेद का आधार है । पूरी तरह समझायें।
- 24. Discuss a Muslim divorced wife can directly claim maintenance from Wakf Board under what circumstances.
 - किन परिस्थितियों में एक मुस्लिम तलाकशुदा पत्नी सीधे वक्फ बोर्ड से भरण-पोषण ले सकती है ? चर्चा कीजिए ।
- 25. Under what circumstances a Hindu woman can seek a divorce from her husband under Hindu Marriage Act, 1976?
 - किन परिस्थितियों में हिन्दू पत्नी अपने पति से विवाह विच्छेद कर सकती है, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत ?

OR/अथवा

Elective-VIII ऐच्छिक-VIII

21. Evaluate the philosophical foundation of Human Rights.

मानव अधिकारों के दार्शनिक आधारों का मुल्यांकन कीजिए ।

22. Examine the universality of Universal Declaration of Human Rights.

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की सर्व भौमिकता का परीक्षण कीजिए ।

23. Explain the role of Indian Judiciary in realising new Human Rights through the Indian Constitution.

नव मानव अधिकारों को भारतीय संविधान की परिधि में लाने के लिए भारतीय न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट कीजिए ।

24. Write an essay on the Protection of the Human Rights of Refugees.

शरणार्थियों के मानव अधिकारों के संरक्षण पर निबन्ध लिखिये ।

25. What are the Child Rights Conventions? What steps have been taken at global level for the eradication of child labour?

शिशु के अधिकारों का अभिसमय क्या है ? बाल-श्रम को समाप्त करने के क्या-क्या वैश्विक उपाय किये गये हैं ?

OR/अथवा

Elective-IX ऐच्छिक-IX

- 21. "As a general rule persons wronged can take action against wrong–doers and all wrong doers are liable to the sued" Comment.
 - "सामान्य नियम है कि जिसके साथ अन्याय हुआ है वह दोषकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है और सभी दोषकर्ता वाद के लिये दायित्वाधीन है।" टिप्पणी कीजिये ।
- 22. Is negligence a "State of Mind" or a "conduct" ? Give reasons for your answer. उपेक्षा 'मन की स्थिति' है अथवा आचरण है ? कारण सहित उत्तर दीजिए ।
- 23. Explain the essentials of Defamation. मानहानि के आवश्यक तत्त्वों को स्पष्ट कीजिये ।

24. Examine the limitations of the principle of "strict liability".

कठोर दायित्व के सिद्धान्त की सीमाओं को स्पष्ट कीजिये।

25. Explain the distinction between "Contract of" and "Contract for" services.

सेवाओं की संविदा और सेवाओं के लिये संविदा के बीच विभेद को स्पष्ट कीजिये ।

OR/अथवा

Elective-X

ऐच्छिक-X

21. Discuss nature and essentials of partnership, discussing relevant statutory and judicial principles.

न्यायिक सिद्धान्तों एवं सुसंगत विधि की विवेचना करते हुए भागीदारी की प्रकृति एवं आवश्यक तत्त्वों की विवेचना कीजिये ।


22. Critically appreciate legal role of directors, explaining their rights, powers, duties and liabilities.


निदेशकों के अधिकार, शक्ति, दायित्व एवं जिम्मेदारी की स्पष्ट विवेचना करते हुए इनकी विधिक भूमिका की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये ।


- 23. Evaluate application of principles of agency, and public notice in context of doctrine of indoor management, explaining implications of resultant law.
 - अभिकरण के सिद्धान्त एवं लोक सूचना के परिप्रेक्ष्य में आन्तरिक प्रबन्ध के सिद्धान्त के अनुप्रयोग का मूल्यांकन सम्बन्धित विधि की विविक्षा को स्पष्ट करते हुए कीजिये ।
- 24. Explain essentials of negotiable instruments affecting various parties making, receiving and dealing with such instruments.
 - परक्राम्य लिखत के आवश्यक तत्त्वों को समझाइये, जो विभिन्न पक्षकारों को जो ऐसी लिखत को बनाता है, प्राप्त करता है और उनसे व्यवहार करता है को प्रभावित करता है ।
- 25. Explain how a contract of sale is made, and broken; explaining rights, duties, liabilities and remedies of buyers and sellers in such cases.


विक्रय की संविदा किस प्रकार की जाती है और टूटती है को क्रेता एवं विक्रेता के ऐसे मामलों में अधिकारों, दायित्वों, जिम्मेदारियों एवं उपचारों को स्पष्ट करते हुए समझाइये ।


 	











SECTION – IV ਯਾਤ – IV

Note: This section consists of **one** essay type question of **forty** (40) marks to be answered in about **one thousand** (1000) words on any **one** of the following topics.

 $(1 \times 40 = 40 \text{ Marks})$

नोट : इस खण्ड में एक चालीस (40) अंकों का निबन्धात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर निम्निलिखित विषयों में से केवल एक पर, लगभग एक हजार (1000) शब्दों में अपेक्षित है । $(1 \times 40 = 40 \text{ sim})$

26. Right to Education under the Constitution of India.

भारतीय संविधान के अधीन शिक्षा का अधिकार

OR/अथवा

60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, 1948 and Justice and Dignity for all.

सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 की 60वीं वर्षगाँठ एवं सभी के लिये न्याय एवं गरिमा

OR/अथवा

Uneasy and ineffective relation between investor protection and philosophy of disclosure in the light of statutory and judicial principles.

वैधानिक एवं न्यायिक सिद्धान्तों के मद्देनजर निवेशक के संरक्षण एवं प्रकटीकरण का दर्शन के बीच के सम्बन्ध असुविधाजनक एवं अप्रभावी है ।

OR/अथवा


The changing concept of the institution of Marriage from Sacrament to contract and now to live-in relationship.

वैवाहिक संस्थान की अवधारणा पवित्र से संविदा एवं अब साथ-साथ रहने का सम्बन्ध तक बदल गई है ।


OR/अथवा


Eclipse of the doctrine of Mens Rea.


आपराधिक मन:स्थिति का सिद्धान्त का ग्रहण ।









FOR OFFICE USE ONLY	
Marks Obtained	
Question	Marks
Number	Obtained
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	

Total Marks Obtained (in wo	ords)
(in fig	gures)
` `	ordinator
(Evaluation)	Date